FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

शोभा देवी बनाम हनुमान वगै०

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 148 / सन 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकील वादी उपस्थित वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 7 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/12/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)	979 29/10/21
16/11/21 वादिया के प्रा० पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। वकिल वादी ने प्रा० पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर वादपत्र विड्रोल करने बाबत पेश किया। श्रा० मि० हो। उक्त प्रा० पत्र में वादीया ने निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगन के बीच आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है तथा अब किसी प्रकार का कोई वाद शेष नही रहने से वादीया के वादपत्र को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वादपत्र जरिए विड्रोल खारिज फरमावे। हमने पत्रावली व प्रा० पत्र का अवलोकन किया। वादपत्र प्रारम्भिक। तलबी स्टेज पर है। वादीया एवं प्रतिवादीगन के [illegible] समझाईस से राजीनामा होने तथा किसी प्रकार का कोई वाद शेष नही रहने से वादीया के वादपत्र को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वादपत्र जरिए विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] भण्डार जमा हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested